



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650

क्रमांक/2025 /परीक्षा समन्वय/2021

भोपाल, दिनांक 23 मई 2021

//आदेश//

माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पत्र क्रमांक 2019-2020/प.स./2021 भोपाल, दिनांक 14 मई 2021 द्वारा मण्डल की हाईस्कूल परीक्षा का आयोजन नहीं किये जाने संबंधी तथा आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा की ओ.एम.आर. शीट्स भरने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

2/ मण्डल द्वारा जारी आदेश दिनांक 14 मई 2021 के संबंध में विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार संशोधन पत्र जारी किया जाता है-

2.1 जिन संस्थाओं द्वारा मण्डल के आदेश दिनांक 14.05.21 के पूर्व आंतरिक/प्रायोगिक परीक्षा की ओ.एम.आर. शीट्स भर दी गई है, ऐसी संस्थाओं को उनके एम.पी. ऑनलाईन के लॉगिन में मण्डल द्वारा दिनांक 24 मई 2021 से ऑनलाईन ओ.एम.आर. शीट्स भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। ऐसी संस्थायें मण्डल के आदेश दिनांक 14.05.21 के मापदण्ड अनुसार ऑनलाईन अंक भर सकेंगे। जो संस्थायें ऑन लाईन अंक प्रेषित करने के विकल्प का चयन करेगी उन्हे उस भाग के आंतरिक/प्रायोगिक परीक्षा की ओ.एम.आर. शीट्स जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.2 मण्डल द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.05.2021 के अनुसार प्रायोगिक हाईस्कूल की प्रायोगिक परीक्षायें आयोजित नहीं कि जावेगी, किन्तु प्रायोगिक भाग की ओ एम आर शीट्स में उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आन्तरिक की भांति संबंधित संस्था द्वारा अंक प्रदान किये जायेंगे। NSFQ के विषयों की ओ.एम.आर. शीट्स में अधिकतम 60 अंक निर्धारित है, जबकि अन्य विषयों के लिये अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है। अतः NSFQ के विषयों के लिए शाला द्वारा 100 में से प्राप्त अंकों को 60 में से प्राप्त होने वाले अंको में प्रोरेटा आधार पर परिवर्तित कर इन प्राप्तांकों को मण्डल द्वारा प्रेषित ओ.एम.आर. शीट्स में अंकित किये जाये। उदाहरण स्वरूप यदि किसी परीक्षार्थी को NSFQ के किसी विषय में 100 में (सैद्धांतिक + प्रायोगिक) 80 अंक प्राप्त हुए हैं तो ओ.एम.आर. शीट्स में प्रोरेटा आधार पर 48 अंक अंकित किये जावें।

4.3 ओ.एम.आर. शीट्स (मेन्यूअल/ऑनलाईन) जमा करने की नवीन संशोधित तिथि दिनांक 10 जून 2021 नियत की जाती हैं।

शेष निर्देश पूर्वानुसार यथावत लागू रहेंगे।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल

मध्यप्रदेश भोपाल



//2//

क्रमांक / 2026 / परीक्षा समन्वय / 2021

भोपाल दिनांक- 23 मई 2021

प्रतिलिपि-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 - 2- आयुक्त, लोक शिक्षण, गौतम नगर, मध्यप्रदेश भोपाल।
 - 3- आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
 - 4- आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स मध्यप्रदेश भोपाल।
 - 5- समस्त- संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
 - 6- समस्त-जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
 - 7- समस्त- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
 - 8- समस्त- संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
 - 9- समस्त-उपायुक्त / सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.।
 - 10- समस्त-जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 - 11- समस्त- प्राचार्य, जिला समन्वयक संस्थायें, मध्यप्रदेश।
 - 12- आंचलिक / समस्त-संभागीय अधिकारी संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल म.प्र.।
 - 13- सी.एस.ओ. / जन सम्पर्क अधिकारी / पंजीयक परीक्षा / विधि सलाहकार / समस्त-सहायक सचिव / कक्षाधिकारी / समकक्ष अधिकारी / लोकसूचना कक्ष / सुरक्षा अधिकारी, मा.शि.म.मंडल म.प्र.।
 - 14- निज सचिव-अध्यक्षअति.सचिव / उपसचिव / परीक्षा नियंत्रक / वित्ताधिकारी, मा0शि0म0 म.प्र.।
 - 15- समस्त- प्राचार्य, मण्डल से मान्यता / सम्बद्धता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थायें म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

UjR
सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल

मध्यप्रदेश भोपाल